भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1525

(07 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाएं

1525. श्री एम. बदरूद्दीन अजमल:
श्री विजय कुमार दुबे:
श्री अनुराग शर्मा:
कुमारी राम्या हरिदास:
श्री चन्देश्वर प्रसाद:
श्री गजेन्द्र उमराव सिंह □टेल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृ□ा करेंगे किः

(क) ग्रामीण क्षेत्रों, □छड़े क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्तमान में लागू की जा रही विशेषकर से बिहार, मध्य प्रदेश और असम से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा/नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त् योजनाओं के लिए कोई धनराशि आवंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा □िछले □ांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उत्तर □ूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश (विशेष रू□ से झांसी और ललित□ुर), बिहार के जहानाबाद, अरवल और गया जिलों सहित अलग-अलग स्वीकृत/जारी/उ□योग की कई कुल धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और इस मंत्रालय द्वारा जारी निधि का □ूरी तरह से उ□योग कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास □रियोजनाओं के वित्तीय आवंटन में कटौती की है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) : ग्रामीण, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बिहार, मध्य प्रदेश और असम राज्यों सहित देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं और ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i. ग्रामीण विकास मंत्रालय का ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), *दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना* (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का कार्यान्वयन कर रहा है।

ii. ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जलसंभर (वाटरशेड) विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन कर रहा है जो मुख्य रूप से निवल खेती वाले क्षेत्र और कृषि बंजर भूमि के वर्षा सिंचित भागों का विकास है।

(ख) से (घ) : पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है जिसमें इससे संबंधित उत्तर प्रदेश के दो जिलों अर्थात झांसी और ललितपुर और बिहार के तीन जिलों अर्थात जहानाबाद, अरवल और गया में जहां भी इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, की जानकारी भी सम्मिलित है। निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II में** दिया गया है ।

(ङ) ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का समग्र बजट कम नहीं किया गया है। पीएमजीएसवाई के मामले में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान राज्यों के पास अप्रयुक्त शेष राशि, राज्य में चल रहे कार्य और राज्य की कार्य-निष्पादन क्षमता के आधार पर तय किए जाते हैं, जो साल-दर-साल बदलते रहते हैं, तदनुसार इस योजना में कुछ कटौती की गई थी। हालांकि,

मनरेगा, डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई जैसी योजनाएं मांग आधारित कार्यक्रम हैं जिनमें वास्तविक मांग के आधार □र और अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निधियां रिलीज की जाती हैं।

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के आधार □र □ीएमकेएसवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार डीओएलआर के डब्ल्यूडीसी-□ीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय आवंटन किया जाता है। कभी-कभी अप्रयुक्त राशि की उ□लब्धता और निधियों की रिलीज के लिए उ□योगिता प्रमाण □त्र सहित □ूर्ण दस्तावेज समय □र प्रस्तुत न करने, राज्य अंश की समान रिलीज प्राप्त होने में देरी आदि के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय आवंटन में कमी होती है।

(च) : ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) अ□नी सभी ग्रामीण विकास योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन □र जोर देता है। कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण गरीबों तक □हुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्या□क बहु-स्तरीय और बहु-प्रारू□ प्रणाली विकसित की है, जिसमें निष्□ादन समीक्षा समिति की बैठकें, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ("दिशा") की बैठकें, राष्ट्र स्तरीय निगरानी (एनएलएमएस), क्षेत्राधिकारी योजनाएं, सामान्य समीक्षा मिशन, समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं। महात्मा गांधी नरेगा और □ीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं द्वारा सामाजिक लेखा □रीक्षा भी आयोजित की जाती है। योजनाओं का तृतीय-□क्ष मूल्यांकन भी नियमित रू□ से किया जाता है और निष्कर्षों □र उ□युक्त कार्रवाई की जाती है। उ□रोक्त के अलावा, एमआईएस के लिए लेनदेन आधारित आईटी प्रणालियों का उ□योग करके □ारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं जिनमें □रिसं□त्तियों की जियो टैगिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनई-एफएमएस), आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबी□ीएस), रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उ□योग कर अनुमान गणना के लिए सॉफ्टवेयर (सिक्योर) और स्वतंत्र सामाजिक लेखा □रीक्षा इकाइयों की स्था□ना तथा लोक□ाल की नियुक्ति शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य विशिष्ट समीक्षाएं भी समय-समय □र की जाती हैं।

****